शिक्षित अनुसूचित जाति की महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित समाजशास्त्रीय अध्ययन : मुजफ्फरपुर नगर के संदर्भ में

सुमन कुमारी *

यह सर्वविदित है कि सदियों से समाज में महिलाओंकी स्थिति हमेशा दोयम दर्जे की रही है। जाति वर्ग में सबसे निम्न अनुसूचित जाति मेंपुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय रही है। प्रारम्भिक समयों से ही इन्हें अस्पृश्य (अछूत) माना जाता रहा है। एक तो अस्पृश्य एवं दूसरी स्त्री होना, ये दोनोंही सामाजिक समूहों द्वारा उत्पीड़ित हुए है। अस्पृश्य महिलाएँ वेहै जो एक तरफ पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना से पीड़ित हैं, तोदूसरी तरफ अस्पृश्य होने का दर्द झेल रही है। अनुसूचित जाति महिलाएँ तीन तरफी जीवन जीने को बाध्य हैं – प्रथम वह महिला हैं, दूसरा वह अस्पृश्य (अछूत) हैं तथा तीसरा वह अस्पृश्य महिला हैं, जो कि समाज में स्त्री रूप में सामान्य महिलाओंकी तरह शोषित है फिर वह अस्पृश्य होने के कारण बहुत ही दीन–हीन दशा में समाज मेंजी रही है तथा अस्पृश्य महिला के रूप में पूरे समाज तथा अपने सामाजिक समूह व परिवार मेंअत्यन्त दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं।

अनुसूचित जाति की महिलाओं को पुरूष प्रधान समाज में पुरूषों के सामने हमेशा नगण्य माना गया है। अस्पृश्य कही जाने वाली ये महिलाएँ अनादि काल से श्रम करती आ रही हैं। वेअपने घरोंऔर परिवारों में कार्य करती तोहैं ही साथ ही वे पतियोंके साथ खेतोंमें श्रम करती हैं, वे कड़ी धूप में कृषि उत्पादन मेंसहयोग करती हैं, घास काटती हैं, पशुओं एवंमवेशियोंकी देखभाल करती हैं। वेअपने पतियोंके पीछें नहीं चलती, बल्कि पति के साथ कन्धेसे कन्धा मिला कर विभिन्न तरह के कार्य करती है, और अगर पति कार्य करने में सक्षम नहीं है तोवेसभी तरह के कार्य करती हैं। इसके बावजूद इन महिलाओं की कभी भी कोई शिकायत नहीं रही है कि ये अधिक श्रम करती हैं या अत्यधिक श्रम करने के उपरान्त शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इन महिलाओं के प्रति सामाजिक मानसिकता भी ऐसी है कि इन्हें कभी भी आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं दे सकी। स्वंय महिलाएँ भी इन कार्यों को करते अपने आत्मा को भूल सी गयी है तथा वेकभी यह नहीं समझ सकी कि सदियोंसे चली आ रही परम्परा से हटकर भी वेकुछ कर सकती हैं।

---

* NET, SRF (UGC), शोध छात्रा (समाजशास्त्र), बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

इस पिछड़े, अशिक्षित अनुसूचित जातियों के कार्य निश्चित कर दिये गए थे। जो जिस जाति में जन्म लेता था उसे अपनी जाति के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। वह चाहते हुए भी उसे छोड़ नहीं सकता था। यह प्रसन्नता की बात है कि स्वतन्त्रता के पश्चात अब किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। काम के आधार पर छोटे और बड़े की भावना में काफी परिवर्तन हआ है। आज कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति विश्वविद्यालय का शिक्षक, वैज्ञानिक, डाक्टर और इन्जीनियर, मंत्री और समाज सेवक भी हो सकता है। समाज में जातिगत कार्यों में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये अनुसूचित जाति के गतिशीलता के शुभ लक्षण है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं का एक बड़ा भाग शिक्षा ग्रहण कर शिक्षित हुई हैं और विभिन्न स्थानों पर नौकरी कर रही हैं, स्वरोजगार कर रही हैं। शिक्षित अनुसूचित जाति की महिलाओं में होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से शहरों में अधिक देखने को मिल रही है। हालाकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षित अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या बढ़ी है किन्तु औसतन अभी कम है। विभिन्न आरक्षण प्रक्रियाओं के लागू होने के फलस्वरूप अनुसूचित जाति की महिलाओं का भी पंचायती राज में प्रतिनिधित्व बढ़ने के फलस्वरूप इनका विकास हुआ है। इनमें परिवर्तन तथा विकास हुआ है।

अनुसूचित जातियों की महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में बेहतर हुई है। लेकिन विभिन्न योजनाओं को जिस उद्देश्य से लागू किया गया था, उसकी तुलना में विकास की दर अभी भी कम है।इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि विभिन्न सांवैधानिक प्रावधान एवं विकास योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के विकास के लिये किया जाने वाला एक बहुआयामी प्रयास है।

जैसे–जैसे अनुसूचित जाति एवं उनकी महिलाओं में शिक्षा का विकास हुआ है वैसे–वैसे उनमें अनेकों परिवर्तन एवं बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पहले कभी अनुसूचित जाति की महिलाओं से निर्णय लेने में कभी विचार नहीं लिये जाते थे वहीं आज कई तरह के कार्यों में उनका विचार लिया जाने लगा है। प्रस्तुत अध्ययन इसी संदर्भ में किया जा रहा है कि शिक्षित अनुसूचित जाति के परिवार में निर्णय लेने में महिलाओं की क्या भूमिका है।

अध्ययन का उद्देश्य :–प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि शिक्षित अनुसूचित जातियों के परिवार में उनकी स्थिति का पता उनके निर्णय लेने की क्षमता से ही लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में वे किन बातों पर निर्णय लेते हैं अर्थात् परिवार में खर्च, सामानों की खरीद बिक्री, जमीन व मकानों की खरीद बिक्री अन्य किसी अवसर से संबंधित उनके विचार के संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन किया रहा है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इन तथ्यों को भी जानना है कि जहाँ पिछड़ी व अशिक्षित अनुसूचित जाति की

महिलाओं से आज भी विभिन्न अवसरों पर निर्णय नहीं ली जाती है वहीं शिक्षित अनुसूचित जाति की महिलाएँ निर्णय लेने की दर क्या है।

अध्ययन क्षेत्र एवं उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि :– प्रस्तुत अध्ययन बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के मुख्यालय मुजफ्फरपुर नगर को अध्ययन क्षेत्र के लिए चयन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र से 100 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति के आधार पर किया गया है। इन उत्तरदाताओं से अध्ययन विषय से संबंधित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार प्रविधि द्वारा तथ्यों का संकलन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र से चयनित किये गये उत्तरदाताओं का परिचय इस प्रकार है :–

तालिका संख्या – 01

शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं का परिचय

शिक्षा	उत्तरदाता	प्रतिशत
मैट्रिक	14	14
इन्टर	22	22
स्नातक	36	36
स्नातकोत्तर	28	28
कुल –	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका के आधार पर स्पष्ट है कि सभी स्तर के शिक्षा प्राप्त लोगों में मैट्रिक स्तर 14 प्रतिशत उत्तरदाता हैं, 22 प्रतिशत उत्तरदाता इन्टर पास हैं, 36 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक स्तर के हैं तथा 28 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातकोत्तर स्तर के हैं।

तालिका संख्या –02

घर के किसी बात पर निर्णय लेने में आपकी राय ली जाती है ?

हमेशा/विशेष अवसर पर/कभी नहीं

उत्तर विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हमेशा	62	62
विशेष अवसर पर	22	20
कभी नहीं	16	18
कुल	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका के आधार पर स्पष्ट है कि पूछे गये प्रश्न क्या घर के किसी बात पर निर्णय लेने में आपकी राय ली जाती है तो 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि घर के बात पर निर्णय लेने में उनकी राय ली जाती है, 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि घर के किसी बात पर उनकी राय किसी विशेष अवसर पर ली जाती है वहीं लगभग 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि घर के किसी बात पर उनसे कभी राय नहीं ली जाती है।

तालिका संख्या – 03
घर के आमदनी में खर्च के लिए कौन निर्णय लेता है ?
स्वंय/पति/दोनों

उत्तर विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
स्वंय	26	26
पति	32	32
दोनों	42	42
कुल	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका के आधार पर स्पष्ट है कि पूछे गये प्रश्न घर के आमदनी में खर्च के लिए कौन निर्णय लेता है तो 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि घर की आमदनी में खर्च के लिए वे स्वंय निर्णय लेती हैं, 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि घर के आमदनी में खर्च के लिए उनके पति निर्णय लेते हैं तथा वहीं लगभग 42 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि घर के आमदनी में खर्च के लिए दोनों पति–पत्नी मिलकर निर्णय लेते हैं।

तालिका संख्या – 04
अपने बच्चों की शादी में आपकी राय ली जाती है ? हाँ/नहीं

उत्तर विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
हाँ	65	65
नहीं	15	15
कभी–कभी	20	20
कुल	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका के आधार पर स्पष्ट है कि पूछे गये प्रश्न अपने बच्चों की शादी में आपकी राय ली जाती है तो 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि अपने बच्चों की शादी में उनकी राय ली जाती है, जबकि 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि बच्चों की शादी में उनकी राय नहीं ली जाती है तथा वहीं 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि अपने बच्चों की शादी में उनकी कभी–कभी राय ली जाती है।

तालिका संख्या – 05
जमीन की खरीद बिक्री/घर के सामानों की खरीद बिक्री के समय किससे विचार ली जाती है ? स्वंय/पति/दोनों/बच्चे

उत्तर विकल्प	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
स्वंय	04	04
पति	22	22
दोनों	60	60
बच्चे	14	14
कुल	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका के आधार पर स्पष्ट है कि पूछे गये प्रश्न जमीन की खरीद बिक्री/घर के सामानों की खरीद बिक्री के समय किससे विचार ली जाती हैतो 04 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि जमीन की खरीद बिक्री/घर के सामानों की खरीद बिक्री के समय वे स्वंय निर्णय लेती हैं, जबकि 22 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि जमीन की खरीद बिक्री/घर के सामानों की खरीद बिक्री के समय वे अपने पति पर निर्णय छोड़ती हैं वहीं 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि जमीन की खरीद बिक्री/घर के सामानों की खरीद बिक्री के समय वे दोनों पति–पत्नी मिलकर निर्णय लेते हैं तथा 14 प्रतिशत ऐसे भी उत्तरदाता हैं जिनका विचार है कि वे जमीन की खरीद बिक्री/घर के सामानों की खरीद बिक्री के समय अपने बच्चों से भी विचार लेती हैं।

निष्कर्ष :–अध्ययन के उपरान्त निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शिक्षित अनुसूचित जाति महिलाओं के जीवन–स्तर में सुधार आया है। आज शिक्षित अनुसूचित जाति की महिलाएँ अपने व्यक्तिगत निर्णय (कॅरियर, रोजगार, विवाह से सम्बन्धित निर्णय) स्वयं ले रही है और साथ ही पारिवारिक निर्णयों में भी उनकी राय ली जा रही है। शिक्षित अनुसूचित जाति की महिलाएँ शिक्षण क्षेत्र के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों अर्थात् डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्यमी, सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि आदि क्षेत्रों में अपनी योग्यता का प्रतिनिधित्व कर रही है और वे अपने दम पर बहुत अच्छी कमाई कर रही है जो अनुसूचित जाति की महिलाओं की पारम्परिक अवधारणा में बदलाव की लहर को दर्शाता है। शिक्षित अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक प्रस्थिति में सुधार हुआ है क्योकि कई महिलाऐं है जो अपने दम पर जीवन यापन कर रही हैं। परिवार एवं समाज उन पर भरोसा करते हैं और उनके अधिकारों को सम्मान के साथ प्रदान करते है क्योंकि उन्होनें उन अधिकारों को प्राप्त किया है। शिक्षित अनुसूचित जाति की महिलाओं ने इस विचार का भी समर्थन किया कि शिक्षा एक व्यक्ति के व्यवहार (सोच एवं मनोवृत्ति) में सुधार करती है और शिक्षा उनके एवं समाज के बीच एक सेतु का काम करती है। अनसूचित जाति की महिलाओं ने यह सहमति व्यक्त किया कि शिक्षा ने उनकी एवं समाज के सकारात्मक दृष्टिकोण के निर्णय एवं सोच में सुधार करने में मदद की है। साथ ही उनके परिवार के अन्य पुरूष सदस्यों का भी दृष्टिकोण उनके प्रति सकारात्मक है।

संदर्भ ग्रन्थों की सूची :–

- कुमार, दीपक; *दलित महिलाओं के बदलते आयाम*, जानकी प्रकाशन, पटना, 2013.
- कुमारी, नीलम; *मध्यमवर्गीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति*, जानकी प्रकाशन, पटना, 2006.

- कुमारी, चंचला; *बिहार में दलितों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि,* कला एवं धर्म शोध संस्थान, वाराणसी, 2014
- पासवान, भोला; *दलित कल्याण : सरकारी–गैर सरकारी प्रयास,* जानकी प्रकाशन, पटना, प्रथम संस्करण, 2010.
- भारतीय, ओम प्रकाश; *दलितों में सामाजिक गतिशीलता एवं राजनैतिक चेतना,* कला प्रकाशन, वाराणसी, 2010.
- माइकल, एस० एम० (अनुवादक : विजय कुमार पन्त);*आधुनिक भारत में दलित : दृष्टि एवं मूल्य,* रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2010.
- सिंह, मीनाक्षी;*भारत में दलित विकास,* ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2011.

***